सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 218 राँची, गुरुवार, 14 मार्च, 2019 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

8 मार्च, 2019

संख्या-ख०नि०(विविध)-153/2005-428/एम०,-- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 (अधिनियम संख्या-67/1957) की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 तक में निम्न रूपेण संशोधन किया जाता है।

1. (क) यह नियमावली '' झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 '' कहलायेगी।

(ख) यह संशोधन नियमावली झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम 2 में उप नियम 32 के उपरान्त निम्नलिखित शामिल किया जाता हैः-

(33) JIMMS अर्थात खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड एकीकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली (Jharkhand Integrated Mines & Minerals Management System)

(34) जब्ती अर्थात विधि अधिकृत व्यक्ति द्वारा खनिज के जब्त करने की प्रक्रिया या खनिज की जब्ती यदि खनन, परिवहन, भण्डारण या क्रय विधि सम्मत नहीं है अथवा इस क्रम में प्रयोग में लाये गये मशीन एवं उपस्कर की जब्ती की कार्रवाई ।

(35) सरकारी कम्पनी का अभिप्राय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-2(45) के अन्तर्गत परिभाषित एवं पंजीकृत कोई सरकारी कम्पनी।

(36) ग्रेनाइट अर्थात डोलोराईट, ग्रेनाईट, सेल, मिगमाटाइट, गैब्रो, अर्नोर्थेसाईट, सीलीकेट, राइयोलाइट सिनाइट, लेपटीनाइट, चारनोकाइट एवं अन्य चट्टान के प्रकार जो निम्नलिखित गुणों से युक्त हो,

(i) डायमेशनल स्टोन के रूप में बरामद करने योग्य,

(ii) पॉलिश करने में योग्य

(iii) व्यवसायिक खनन हेतु योग्य

(37) मार्बल अर्थात क्रिस्टालाइन एवं परिवर्तित चट्टान, केलकेरियस या डोलोमिटिक लाईमस्टोन और सर्पेन्टाइन चट्टान के निम्नलिखित प्रकार

(i) डायमेशनल स्टोन के रूप में खनन करने योग्य ,

(ii) पॉलिश करने योग्य एवं व्यवसायिक खनन योग्य ,

3. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम-6(ख) निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम-6(ख)- खनन पट्टा क्षेत्र का रकबा यथा संभव 5.00 हे0 से कम नहीं होगा।

परन्तु कि खनिज की उपलब्धता का क्षेत्रफल कम होने की स्थिति में सुसंगत नियमों के आलोक में 5.00 हे0 से कम क्षेत्र पर भी खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

परन्तु कि पत्थर, मोरम एवं मिट्टी के लिए 3.00 हे० एवं 3.00 हे० से कम रैयती क्षेत्र पर खनन पट्टा की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम-9 के तहत उपायुक्त के द्वारा समुचित जाँचोपरान्त दी जाएगी।

4. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम-9(1)(क), 9(1)(ख) को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है एवं 9(1)(च) के परन्तुक को निम्न रूपेण जोड़ा जाता है:-

नियम-9(1)(क)- रैयती भूमि के 03.00 हे० क्षेत्र एवं उससे कम क्षेत्र पर पत्थर, मोरम एवं मिट्टी लघु खनिज के खनन पट्टा उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

परन्तु कि सभी सरकारी क्षेत्र एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6(ख) के परन्तु में उल्लेखित क्षेत्र एवं खनिज को छोड़कर सभी रैयती क्षेत्र पर बालू

छोड़कर अन्य सभी लघु खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज नीलामी नियमावली, 2017 में निरूपित प्रावधानों के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक नीलामी के माध्यम से निदेशक, खान के द्वारा किया जाएगा। परन्तु राज्य सरकार आवश्यकतानुसार नीलामी हेतु उपायुक्त को भी प्राधिकृत कर सकती है।

परन्तु कि अधिसूचना संख्या-1653/ एम०, राँची, दिनांक-06 सितम्बर, 2016 के द्वारा अधिसूचित 31 (इक्तीस) खनिजों एवं, ग्रेनाइट पत्थर खनिज, मार्बल, बलूआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर आदि के मामले में नीलामी से पूर्व खनिज की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जाँच कर ब्लाक चिन्हित करने का कार्य भूतत्व निदेशालय, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अन्वेषण प्रतिष्ठान द्वारा किया जाएगा।

सामुदायिक सम्पति यथा पुल, सड़क, तालाब, नदी, भवन, धार्मिक स्थल, श्मशान घाट, पहाड़ आदि की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमो, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा स्थापित माप-दण्डो के अनुरूप सुरक्षा प्रक्षेत्र चिन्हित करना होगा, जिसमें खनिजो का खनन कार्य नहीं होगा।

नियम-9(1)(ख)- ग्रेनाईट खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनन पट्टों की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य लघु खनिज नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक नीलामी के माध्यम से निदेशक, खान द्वारा किया जाएगा।

परन्तुक ग्रेनाईट खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा की स्वीकृति एवं संरक्षण तथा विकास The Granite Conservation and Development Rules, 1999 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

नियम-9(1)(च)ः- परन्तुक ग्रेनाईट खनिज के लम्बित/कालतिरोहित खनन पट्टा का अवधि विस्तार/नवीकरण में खनन पट्टा की न्यूनतम अवधि The Granite Conservation and Development Rules, 1999 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

परन्तु वैसे ग्रेनाईट खनिज के लिए लम्बित सभी मामले अधिसूचना की तिथि से 06 माहों के अन्तर्गत अवधि विस्तार/नवीकरण किया जाना होगा, वशर्ते ऐसे आवेदकों द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति/स्वीकृति प्राप्त की गयी हो।

5. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम-34(C) निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम 34(C) खनन योजना तैयार करना:-

नियम 34(C) खनन योजना तैयार करना:-

(1) नियम, 34A के अधीन प्रत्येक खनन योजना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी जो निम्नलिखित अर्हताए और अनुभव रखता हो,

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्थान भी है, द्वारा प्रदत्त खनन अभियंत्रण में स्नातक या भूविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारत के बाहर किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा दी गयी और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता और

(ख) स्नातक अभियंत्रण/स्नातकोत्तर भू-विज्ञान में प्राप्त करने के पश्चात खनन के क्षेत्र में किसी पर्यवेक्षण हैसियत में कार्य करने का पाँच वर्ष का वृतिक अनुभव।

(2) खनन योजना में रूपान्तरण/परिवर्तन खनन योजना तैयार करने के लिए योग्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(3) खनन योजना तैयार किए जाने में विभाग द्वारा अधिसूचित "Jharkhand Minor Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2018" में निहित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

6. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के अध्याय-4C के नियम-34L के उपरांत नियम-34L निम्न रूपेण जोड़ा जाता है:-

अध्याय 4C स्टार रेटिंग आफ माईन्स

नियम 34L खान की स्टार रेटिंग:-

(1) प्रत्येक खनन पट्टा धारक को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अधिसूचित टेम्पलेट के अनुसार अपने खनन और उससे संबंधित गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और हर वर्ष 1 जुलाई के पहले, राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट आनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(2) राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के माध्यम से स्टार रेटिंग की पुष्टि की जा सकती है।

(3) जिन खदानों में नियमों के अधिसूचना की तारिख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या खनन कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में, यथास्थिति, कम से कम तीन स्टार की रेंटिग के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की गयी है, राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी साठ दिनों का एक कारण बताओं नोटिस देकर उन खदानों में खनन कार्य निलंबित कर सकते हैं।

(4) निरीक्षण के माध्यम से स्टार रेटिंग के उप नियम (3) में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुपालन के सत्यापन तथा खदान के तीन स्टार रेटिंग के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उपायुक्त के द्वारा निलम्बन मुक्त किया जा सकेगा।

7. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम-51 के बाद नियम 51A निम्न रूपेण जोड़ा जाता है:-

नियम-51A सरकारी कम्पनी हेतु क्षेत्र का आरक्षण:-

राज्य सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र को, जो किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले से नहीं है, किसी सरकारी कम्पनी या ऐसे निगम के जो उसके स्वामित्व या नियंत्रण में है, के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं की जाने के लिए आरक्षित कर सकेगी तथा उसकी ऐसा करने का प्रस्ताव है, वहाँ वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमाएँ और खनिज/ खनिजों, जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित किये जायेगे, विनिर्दिष्ट करेगी।

(क) उपरोक्त लिखित शक्तियों के अनुरूप, राज्य सरकार किसी क्षेत्र को पूर्वेक्षण अथवा खनन गतिविधि के लिए आरक्षित करने हेतु राज्य सरकार अनुसूचि 2 एवं अनुसूची 2क के अन्तर्गत सूचीबद्ध खनिज के लिए उपर्युक्त सरकारी कम्पनी अथवा निगम को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा आवंटित कर सकती है।

(ख) जहाँ सरकारी कम्पनी अथवा निगम, अन्य व्यक्तियों अथवा ईकाईयों के संयुक्त उद्यम के रूप में पूर्वेक्षण गतिविधि अथवा खनन गतिविधि के लिए इच्छुक हैं, संयुक्त उद्यम के सहयोगी का चयन प्रतियोगी प्रक्रिया के द्वारा की जायेगी, और ऐसे संयुक्त उद्यम निगम में सरकारी कम्पनी या निगम के हिस्सेदारी भुगतान की गयी शेयर पूँजी का न्यूनतम 74 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

राज्य सरकार निर्धारित शर्तो एवं बंधेजों के तहत सरकारी कम्पनी या निगम या संयुक्त उद्यम उप नियम (क) एवं (ख) में संदर्भित को खनन पट्टा आवंटित किया जाएगा।

8. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम-54 के बाद नियम 44 A निम्न रूपेण जोड़ा जाता है:-

नियम-54A निम्न रूपेण जोड़ा जाता है:-

54A अनाधिकृत खनिज अथवा खनिज उत्पाद के नीलामी का तरीका:-

खनिज अथवा खनिज उत्पाद का अवैध भण्डारण, परिवहन, आपूर्ति इत्यादि के दौरान जब्त किये गये खनिज अथवा खनिज उत्पाद को सरकारी प्राधिकारी/पुलिस थाना/ स्थानीय निकाय के चयनित प्रतिनिधि या पूर्ण रूप से घेराबन्दी किये गये निजी संस्थान पर रखने के लिए सुपुर्द किया जायेगा।

खनिज की जब्ती के साठ दिनों के अन्दर जब्त खनिज अथवा खनिज उत्पादों को जिला खनन पदाधिकारी के प्रस्ताव पर उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो कि अपर समाहर्ता से कनीय न हो, के द्वारा नीलामी के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा। जब्त खनिज अथवा खनिज उत्पाद की नीलामी के लिए सुरक्षित जमा राशि वह होगी, जो उपायुक्त/कार्य विभाग/खान विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा खनिज अथवा खनिज उत्पाद के लिए निर्धारित हो।

जब्त खनिज के नीलामी से सम्पन्न होने के उपरांत नीलामी की राशि जमा किए जाने के उपरांत संबंधित जिला खनन पदाधिकारी की अनुशंसा पर JIMMS द्वारा जब्त खनिज अथवा खनिज उत्पाद के निष्पादन/प्रेषण के लिए अस्थायी ID सृजित किया जा सकेगा।

9. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम-55 के व्याख्या को छोड़कर निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

55. कार्य विभागों को लघु खनिजों की आपूर्ति:-

सरकार के द्वारा संचालित विकास कार्यों में संलग्न सभी कार्य विभाग/संवेदक/ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास कार्यों में उपयोग किया जाने वाला अथवा उपयोग किया गया लघु खनिज वैध खनन पट्टा धारकों या खनन अनुज्ञाप्ति धारकों से वैध चालान के माध्यम से क्रय किया गया है, अथवा खनन पट्टा या खनन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्राप्त कर किया गया है। ऐसा करने में असफल रहने पर उन्हें उपयोग/आपूर्ति किये गये खनिज के स्वामिस्व के साथ-साथ स्वामिस्व के बराबर की राशि दण्ड स्वरूप जमा करना होगा। साथ ही साथ अन्य वैधानिक शुल्क यथा DMF, मैनेजमेंट शुल्क, पर्यावरणीय शुल्क आदि जमा करना होगा।

10. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम-56 को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

निर्माण कार्य में संलग्न सभी संवर्धक या निजी कम्पनियाँ यह सुनिश्चित करेगी कि उपयोग किया जाने वाला लघु खनिज, पट्टाधारक या अनुज्ञप्तिपत्रधारक या अनुमति पत्रधारकों से वैध चालान के माध्यम से क्रय किया गया है और ऐसा करने से असफल रहने पर उन्हें स्वामिस्व के साथ-साथ स्वामिस्व के बराबर की पूरी राशि जमा करनी होगी। साथ ही साथ अन्य वैधानिक शुल्क यथा DMF, मैनेजमेंट शुल्क, पर्यावरणीय शुल्क आदि जमा करना होगा।

11. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित, 2017 के नियम-67 निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

67. खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर लघु खनिज के व्यवसाय के लिए अनुज्ञापत्रः-

"वैसा प्रत्येक व्यक्ति जो खनन पट्टा/अनुज्ञापत्र क्षेत्र से बाहर लघु खनिज का परिवहन/भंडारण/व्यवसाय/प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) करना चाहता है, उन्हें Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के प्रावधानों के तहत निबंधन कराना होगा तथा उक्त नियमावली के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बाध्य होंगें।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 218 -- 50